**अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र दिये जाने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना**

*190. **श्री ईश दत्त यादव:**
**चौधरी हरमोहन सिंह:**

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने में बहुत अधिक समय लगता है;

(ख) क्या सरकार इस प्रक्रिया को सरल बनाने का विचार रखती है जिससे लोगों को कम से कम समय में प्रमाण-पत्र मिल सकें;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी):** (क) जी हां। सक्षम प्राधिकारी अभ्यर्थी के अन्य पिछड़े वर्गों के स्तर के लिए दावे की सत्यता से स्वयं को संतुष्ट करने के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र जारी करते हैं जिसमें कुछ समय लग सकता है।

(ख) से (घ) भारत सरकार ने अन्य पिछड़े वर्ग तथा सम्पन्न वर्ग (क्रिमी लेयर) को प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया के बारे में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पहले ही विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए कि इन प्रमाण पत्रों को जारी करने में विलम्ब होता है, इसलिए एक तरीका अपनाने के लिए राज्य सरकारों के विचार मांगे गए हैं जिससे अन्य पिछड़े वर्ग तथा सम्पन्न वर्ग (क्रिमी लेयर) को शीघ्रता से प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे।

**Modifications of Liabilities under D.P.E.A.**

*191. SHRI H. HANUMANTHAPA:
SHRI RAJNI RANJAN SAHU:

Will the Minister of CHEMICALS & FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the details of modifications of earlier liabilities under DPEA and assessment of new liabilities from the year 1990-91 to date;

(b) the names of the companies, period and the products in respect of which liabilities have been assessed;

(c) whether any dues have been recovered for this period and if so, from whom and what are their details;

(d) whether his Ministry has drawn up any plan to recover the dues, if so, the details thereof; and

(e) whether his Ministry has taken steps to abolish the committee which has been set up and has no validity for the purpose of recovery?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI RAM LAKHAN SINGH YADAV): (a) to (d) Government has constituted a Three-Member Committee headed by a Retired High Court Judge to review the entire matter relating to DPEA liabilities. This Committee is yet to furnish its recommendations to the Government. The question of modification of the existing liabilities will arise only after the Committee submits its recommendations to the Government.

(e) The present tenure of the aforesaid Committee is upto 20th June, 1996.

**बिहार में फल तथा सब्जी का उत्पादन**

*192. **श्री रामदेव भंडारी:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के अन्य राज्यों की तुलना में फल तथा सब्जी के उत्पादन के क्षेत्र में बिहार का क्या स्थान है;

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा फल तथा सब्जी के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य के लिए बिहार को किस प्रकार की सहायता दी जाती है तथा वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान इस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत की गई और इस कार्य पर व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार को फल तथा सब्जी के उत्पादन, प्रसंस्करण तथा विपणन हेतु दी जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़):** (क) देश में फलों के कुल उत्पादन का 10 प्रतिशत से अधिक उत्पादन बिहार राज्य में होता है और उसका स्थान विभिन्न राज्यों में चौथा है। सब्जियों के मामले में इस राज्य का योगदान कुल उत्पादन का लगभग 23

प्रतिशत है जो विभिन्न राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बिहार में स्थित दो राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को अलग-अलग जिन्सों से संबंधित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के माध्यम से फल तथा सब्जियों के संबंध में स्थान विशिष्ट अनुसंधान के लिए 75 : 25 के अनुपात में सहायता प्रदान करती है। इस समय राज्य में ऐसी छः परियोजनाएं (फलों के लिए 2 तथा सब्जियों के लिए 4) चलाई जा रही हैं। इस संबंध में स्वीकृत तथा दी गई धनराशि का विवरण इस प्रकार है:—

(लाख रुपए में)

| | स्वीकृत धनराशि | | | दी गई धनराशि | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 |
| फलों से संबंधित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं हेतु (2) | 12.38 | 10.34 | 8.75 | 12.38 | 10.34 | 4.38 |
| सब्जियों से संबंधित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं हेतु (4) | 10.88 | 11.35 | 11.50 | 11.53 | 10.06 | 3.27 |

इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राज्य में स्थित दो क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों, केन्द्रीय बागवानी प्रयोग केन्द्र, रांची तथा केन्द्रीय आलू अनुसंधान केन्द्र, पटना के माध्यम से फलों तथा सब्जियों के लिए भी अनुसंधान सहायता उपलब्ध है।

(ग) भारत सरकार द्वारा उत्पादन प्रसंस्करण तथा विपणन के लिए बिहार को दी गई सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है:

(लाख रुपए में)

| | 1993-94 | | 1994-95 | | 1995-96 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | आबंटन | दी गई धनराशि | आबंटन | दी गई धनराशि | आबंटन | दी गई धनराशि |
| फलों तथा सब्जियों सहित सभी बागवानी फसलों में उत्पादनोन्मुखी कार्यक्रमों के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग तथा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजनाएं | 264.92 | 241.7 | 289.32 | 75.24 | 145.89 | 24.90 |
| फल तथा सब्जी प्रसंस्करण के लिए सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करने संबंधी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की योजनाएं | — | — | — | — | 7.50 | 7.50 |
| खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा सहायता | — | 28.538 | — | 26.957 | — | — |

**Selling of IDPL to Private Sector**

*193. SHRI S. MUTHU MANI: Will the Minister of CHEMICALS & FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government propose to sell the IDPL to private sector;

(b) if not, the steps Government propose to take to revive it;

(c) whether Government is also